# प्रेस विज्ञप्ति (द्वितीय कॉल)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु जनपद स्तर लोकपाल की नियुक्ति शासन स्तर से की जानी है, जिसके लिए जनपद स्तर पर अर्ह अभ्यर्थियों से तीन नामों का पैनल चयन कर शासन को प्रेषित किया जाना विचाराधीन है। इस हेतु भारत के नागरिकों/इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

## लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें

**नियुक्ति**

- राज्य सरकार लोकपाल की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के आधार पर करेगी।
- चयन समिति का निर्माण राज्य के मुख्य सचिव,संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि,ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित प्रतिष्ठित सभ्य समाज के व्यक्ति तथा राज्य सरकार में विभागीय सचिव जो सदस्य-संयोजक के रूप में एन.आर.ई.जी.ए. का कार्य कर रहे हैं, के द्वारा किया जायेगा।

**योग्यता**

- व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्षो का लोक प्रशासन,विधि,शिक्षा,समाज सेवा अथवा प्रबन्ध के कार्यों का अनुभव होना चाहिए। समाज सेवा से तात्पर्य यह है कि उसने विना किसी मूल्य प्राप्त किये अपने क्षेत्र में समाज,मानवता के लिए की हो।
  टिप्पणीः- पत्रकार/मीडिया पर्सनल पूर्ण रूपेण व्यावसायिक व्यक्ति है,वे समाज सेवा की श्रेणी में नही आते हैं।
- आयु 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
- राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य योग्य नही होगा।
- वह शारीरिक रूप से सक्रिय होना चाहिए।
- नामरहित टिप्पणियों एवं आपत्तियों पर विचाार नहीं किया जायेगा।

**कार्यकाल एवं पृथकत्व**

- कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
- एक वर्ष हेतु कार्यकाल कार्य निष्पादन के आधार पर अथवा 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।
- पुनर्नियुक्ति नहीं होगी।
- राज्य सरकार लोकपाल को असंतोषजनक कार्य निष्पादन तथा चयन समिति की संस्तुति पर हटा सकती है।

**स्वत्व अधिकार**

- लोकपाल राज्य तथा केन्द्र सरकार से स्वतंत्र होगा।

**पारिश्रमिक**

- प्रति बैठक रूपये 500/- का मानदेय।

**कार्यालय स्थान**

- जनपद मुख्यालय पौड़ी

**कार्यालय सहयोग**

- डी0आर0डी0ए0 तकनीकी तथा प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी।

**मूल्यांकन**

- चयन समिति प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

**लोकपाल के अधिकार**

- दोषी पार्टियों के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिर्पोट (FIR) दर्ज कराने का आदेश देना।
- सुधारात्मक,अनुशासनात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही सीधे ही सम्पन्न करना।
- किसी भी परिस्थिति के वृत्तांत में जो किसी भी शिकायत का निस्तारण हो,प्रारम्भिक कार्यवाही करना।

  शिकायतों का निस्तारण
- लोकपाल उपस्थिति हेतु एन.आर.ई.जी.ए.प्राधिकारी को सूचना जारी करेगा।
- तथ्यों के एक बार प्रस्तुत होने पर उपयुक्त दिशा-निर्देश देकर शिकायत का निवारण किया जायेगा।
- निर्णय प्रमाणों एवं राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के एन.आर.ई.जी.ए. अधिनियम के अनुपालन के आधार पर होने चाहिए।
- निर्णय की प्रति पार्टी को दी जायेगी।
- मिथ्यापूर्ण,द्वेषी एवं नाराजगी सम्बन्धी शिकायत होने पर मूल्य अधिरोपित किया जा सकता है।
- मासिक रिर्पोट मुख्य सचिव तथा एन.आर.ई.जी.ए. के प्रभारी सचिव को प्रेषित की जानी चाहिए।
- भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल विषयवस्तु को अपराधिक अभियोग लेने के लिए अग्रसारित करेगा।
- पार्टी होने की दशा में कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सकते हैं।
- आवश्यक होने पर कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक मात्र तभी उपस्थित होगें, जब कार्यवाही की जा रही हो।
- समस्त केस जो तथ्य अथवा नियम के जटिल प्रश्नों में शामिल नहीं होगें, 15 दिनों के भीतर निवारण हो जाना चाहिए।
- अन्य केसों का 45 दिनों के भीतर निवारण किया जा सकता है।

**आग्रह/अनुरोध/निवेदन**

- लोकपाल के निर्णय के विरूध कोई पुनरीक्षण आवेदन/अपील/<br>पुनर्विलोकन आवेदन संधार्य नही होगा।
- लोकपाल का निर्णय अन्तिम होगा अर्थात इसके विरूध मात्र माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्चतम न्यायालय में समादेश याचिका योजित की जा सकती है। अन्य विधिक प्रतिकर न तो संज्ञेय और ना ही संधार्य होगा।
- आवेदन पत्र दिनांक 6 जुलाई 2010 अपरान्ह 1.00 बजे तक नरेगा प्रकोष्ठ विकास भवन पौड़ी में 10 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर स्वच्छ रूप से मय संलग्नकों के साथ प्रेषित किये जांय। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र विकास भवन पौड़ी नरेगा प्रकोष्ठ से भी प्राप्त किये जा सकते है। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2010 अपरान्ह 3.00 बजे से किया जायेगा और समिति के संस्तुति पर अभ्यर्थी का नाम शासन को प्रेषित किये जाने वाले पैनल में सम्मिलित किया जायेगा।

ह0/-<br>
( दिलीप जावलकर) आई.ए.एस.<br>
जिलाधिकारी गढ़वाल।

# प्रेस विज्ञप्ति (द्वितीय कॉल)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु जनपद स्तर लोकपाल की नियुक्ति शासन स्तर से की जानी है, जिसके लिए जनपद स्तर पर अर्ह अभ्यर्थियों से तीन नामों का पैनल चयन कर शासन को प्रेषित किया जाना विचाराधीन है। इस हेतु भारत के नागरिकों/इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 6 जुलाई 2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

## लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्ते

1. लोकपाल पद हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एवं शर्ते दिनांक 6 जुलाई 2010 तक जिला विकास कार्यालय विकास भवन के नरेगा प्रकोष्ठ में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं या **www.pauri.nic.in Website** से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. आवदेक को न्यूनतम 20 वर्षो का लोक प्रशासन,विधि,शिक्षा,समाज सेवा अथवा प्रबन्ध संबंधी कार्यो का अनुभव होना चाहिए(प्रमाण पत्र संलग्न करें) समाज सेवा से तात्पर्य यह है कि उसने विना किसी मूल्य प्राप्त किये अपने क्षेत्र में समाज सेवा मानवता के लिए की हो।

**टिप्पणीः–** पत्रकार/मीडिया पर्सनल पूर्ण रूपेण व्यावसायिक व्यक्ति है,वे समाज सेवा की श्रेणी में नहीं आते है।

3. आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।(जन्मतिथि से संबंधित मान्य प्रमाण पत्र संलग्न)
4. राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य योग्य नहीं होगा।
5. वह शारीरिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। (सक्षम चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र)
6. उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 5 तक के प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित आवेदन पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिनांक 6 जुलाई 2010 तक जिला विकास कार्यालय के नरेगा प्रकोष्ठ में अपरान्ह 1.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या डाक से जमा करना होगा इसके वाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मुख्य विकास अधिकारी कक्ष विकास भवन पौड़ी में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

**ह0/–**
**( दिलीप जावलकर)** आई.ए.एस.
**जिलाधिकारी**
**गढ़वाल।**

**।। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, पौड़ी गढ़वाल ।।**
**पत्रांक 1465 /एनआरईजीए/लोकपाल/2010-11 दिनांक जून 23, 2010**

प्रतिलिपिः–1. सम्पादक दैनिक जागरण एवं अमर उजाला पौड़ी को इस आशय से कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सरकारी दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें।

2. सम्पादक पाइनियर अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा जिला सूचना अधिकारी पौड़ी को इस आशय से कि वे उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सरकारी दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2.जिला सूचना अधिकारी पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

**ह0/–**
**( चन्द्रेश कुमार )**आई.ए.एस.
**मुख्य विकास अधिकारी**
**पौड़ी गढ़वाल।**

<u>लोकपाल के पैनल में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1. नामः-

2. पिता/पति का नामः-

3. पत्राचार का पताः-

4. दूरभाष संख्या/ई-मेलः-

5. 1-6-2010 को आयुः-

6. शैक्षिक योग्यताः-
(प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें)

7. अनुभवः-
(20 वर्षो से कम अनुभव वाले व्यक्ति आवेदन न करें)

| क्र0सं0 | विषय | कार्य अवधि | प्रमाण पत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक प्रशासन कार्य | | |
| 2. | विधि कार्य | | |
| 3. | शिक्षा संबंधी कार्य | | |
| 4. | समाज सेवा संबंधी कार्य | | |
| 5. | प्रबन्धन संबंधी कार्य | | |
| 6. | कुल अनुभव | | |

<u>घोषणा पत्रः-</u>

मैं ईश्वर की शपथ लेकर सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही है इसमें कोई तत्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी राजनैनिक दल से सम्बद्ध नहीं हूँ और न ही मैने किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है। मैं शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्रिय हूँ। मुझे किसी न्यायालय द्वारा कदाचार के लिए न तो दोष सिद्ध किया गया है और नाही मेरा कोई प्रकरण किसी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि भविष्य में मेरी अर्हता के विरूद्ध कोई मामला प्रकाश में आता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान — नाम

तिथि — हस्ताक्षर